Deg-II
History P-III

(1)

अलाउद्दीन के बजार सुधार नीति

अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार सुधार इसलिए किए की मंगोलों द्वारा दिल्ली की घेराबंदी की जाने के बाद वह एक विशाल सेना तैयार करना चाहता था किन्तु अपने सैनिकों को सामान्य वेतन देने की स्थिति में उसके सारे खजाने खाली हो जाते। कहा जाता है कि मूल्य नियंत्रण एवं मूल्यों में गिरावट के परिणामस्वरूप अलाउद्दीन एक घोड़े वाले एक सवार सैनिक को प्रति वर्ष 238 टके वेतन देकर अपनी सेना में भर्ती कर सकता था और जिन सवार के पास एक अतिरिक्त घोड़ा होता था उसे 75 टके अधिक दिये जाते थे ताकि वह विद्रोह करने के विचार भी अपने मन में न ला सके। उसके बजार सुधारों का विश्लेषण इस प्रकार कर सकते है।

- अलाउद्दीन ने दिल्ली में तीन बजार स्थापित किए — पहला खाद्यान्नों के लिए, दूसरा सभी प्रकार के कपड़ा एवं कीमती वस्तुओं, जैसे — चीनी, घी, तेल मेवे आदि के लिए, तीसरा घोड़ो, दासों और मवेशियों के लिए। इन सभी बजारों के नियंत्रण और प्रशासन के लिए विस्तृत विनियम बनाए गए।

खाद्यान्नों को नियंत्रित करने के लिए अलाउद्दीन ने न केवल गाँवो से खाद्यान्नों की आपूर्ति तथा अनाज व्यापारियों द्वारा नगर तक उनके परिवहन की व्यवस्था का ध्यान रखा अपितु नागरिकों के बीच उनके उचित वितरण की व्यवस्था करने का भी प्रयास किया। निश्चय ही ये तीनो उपाय खाद्यान्नों के मूल्यों को

P.T.O

नियंत्रित करने के सर्वाधिक महत्वपूर्ण पहलू थे। अलाउद्दीन का पहला प्रयास था कि सरकार के पास खाद्यान्नों के पर्याप्त भंडार रहे ताकि व्यापारीगण एक कृत्रिम अभाव पैदा कर मूल्य बढ़ाने की अथवा मुनाफाखोरी करने की कोशिश न करे। खाद्यान्नों को गांवों से लाने का दायित्व प्रायः कारवानी अथवा बंजारे निभाते थे। अलाउद्दीन ने अकाल के दिनों के लिए नियंत्रित वितरण की प्रणाली लागू की ताकि दिल्ली में खाद्यान्नों की कमी न हो पाती और अनाजों की कीमतों में एक दाम अथवा एक दिरहम की भी वृद्धि नहीं हो पाई। एक अधिकारी (शुहना) को पर्याप्त शक्ति प्रदान कर बाजार का प्रभारी नियुक्त किया गया। उसे सख्त आदेश दिए गए थे कि वह उन अनुदेशों का उल्लंघन करनेवालों को दंडित करे।

दूसरे बाजार यानी वस्त्र बाजार में मेवे, जड़ी बुटी, घी, तेल, आदि भी रखा जा सकता था जो बिकते थे। इस बाजार को सराय-ए-अदल कहते थे। अलाउद्दीन ने आदेश दिया था कि देश के विभिन्न भागों एवं यहाँ तक कि विदेशों से व्यापारियों द्वारा लाए गए सभी कपड़े सरकारी दरों पर केवल इसी बाजार में लाये जाएं और बेचे जाएं। यदि कोई भी वस्तु सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य से एक जीतल भी अधिक मूल्य पर बेचा जाता तो उसे जब्त कर लिया जाता था तथा विक्रेता को दंड दिया जाता था। सभी वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए हिन्दू अथवा मुस्लिम सभी व्यापारियों को पंजीकृत किया गया था और उनसे एक इकरारनामा लिया जाता था कि वे प्रति वर्ष सराय-ए-अदल में उतनी ही मात्रा में वस्तुएँ लाएंगे और उन्हें सरकारी दरों पर बेचेंगे।

Next page (3.)

Deg-2
Sub

बरनी ने कपड़ों और अन्य वस्तुओं की कीमतों की एक सूची दी है। ये सब वस्तुओं के सस्ते होने के संकेत मात्र हैं। इस प्रकार कोई व्यक्ति एक टंका में 40 गज मोटा अथवा 20 गज महीन बुना हुआ सूती कपड़ा, एक जीतल में एक सेर साधारण चीनी, 1 जीतल में आधा सेर घी और एक जीतल में 3 सेर तिल का तेल खरीद सकता था।

तीसरा बाजार घोड़ों, मवेशियों और दासों के क्रय-विक्रय के लिए था। उचित दरों पर अच्छी कोटि के घोड़ों की आपूर्ति सैन्य विभाग और सैनिक दोनों के लिए महत्वपूर्ण थी। घोड़ों का व्यापार कमोबेश एकाधिकारपूर्ण था और स्थल मार्ग से होनेवाले घोड़ों के व्यापार पर तो मुल्तानियों और अफगानों का ही एकाधिकार था। किन्तु उनके द्वारा लाये गए घोड़ा बाजार के बिचौलियों अथवा दलालों के हाथों बेचे जाते थे। अलाउद्दीन ने ऐसे दलालों के विरुद्ध कड़े कदम उठाए। उन्हें नगर से निर्वासित कर दिया गया और कुछ को किले में कैद कर दिया गया। उसके बाद अन्य दलालों की सहायता से घोड़ों की कोटि और कीमत तय की गई। प्रथम कोटि के घोड़ों की कीमत 100 और 120 टंकों के बीच

P.T.O.

तय की गई और द्वितीय कोटि के घोड़े की कीमत 80 से 90 टंके की गई। जबकि तीसरी कोटि के घोड़े की कीमत 65 से 70 टंके होती थी।

इसी प्रकार दास युवक-युवतियों एवं मवेशियों की कीमतें भी तय की गई,

अतः अलाउद्दीन खिलजी के बाजार सुधार वस्तुतः अस्थायी प्रकृति के थे और मुख्यतः आपातकाल अथवा किसी खास स्थिति से निपटने के निमित्त से शुरू किए गए थे।

१६५६ अथवा ...
किया गया था और उनसे एक इकरारनामा लिया ...